बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, बिहार पटना।

पत्रांक :– 2476 /पटना, दिनांक :– 22/8/2014

प्रेषक,

डा0 श्री भगवान सिंह,
सचिव,
राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद,
टेक्नोलॉजी भवन, पटना–15.

सेवा में,

प्राचार्य,
1. सभी राजकीय पोलिटेकनिक,
2. राजकीय महिला पोलिटेकनिक,
3. सभी निजी पोलिटेकनिक।

विषय :– सत्र 2014–15 के प्रथम सेमेस्टर में नामांकित छात्र/छात्राओं के निबंधन के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में निबंधन आवेदन पत्र का विहित प्रपत्र संलग्न कर भेजते हुए कहना है कि प्रथम सेमेस्टर के सत्र 2014–15 में नामांकित छात्र/छात्राओं से प्रथम सावधिक परीक्षा के पूर्व संस्थान में निबंधन आवेदन पत्र भरवाकर अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित किया जाय। निर्धारित शुल्क के रूप में प्रति छात्र 350/– (तीन सौ पचास रूपये) के दर से वसूल कर सचिव, राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, बिहार, पटना के पदनाम से बैंक ड्राफ्ट आवेदन पत्र के साथ दिनांक 25/09/2014 तक पर्षद में भेज दिया जाय। निर्धारित तिथि के बाद प्राचार्य द्वारा समुचित कारण के साथ प्रति छात्र 250/– (दो सौ पचास रूपये) प्रति माह विलम्ब शुल्क के साथ दिनांक 30/09/2014 तक निबंधन पत्र पर्षद में स्वीकार किया जायेगा। इसके बाद प्राप्त निबंधन आवेदन पत्रों पर पर्षद द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

पर्षद द्वारा निबंधित छात्र हीं सामयिक या पर्षद द्वारा आयोजित परीक्षाओं में सम्मिलित होने के पात्र होगें। निबंधन आवेदन पत्र पर संबंधित छात्र के नामांकन आदेश पर चिपके छाया चित्र के निगेटिव का हीं छाया चित्र चिपकाया जाय जो प्राचार्य या उनके द्वारा अधिकृत पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित होगा। अभिप्रमाणित करने के क्रम में प्राचार्य/पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर आधा छाया चित्र तथा आधा आवेदन पत्र पर होना चाहिए। आवेदन पत्र के साथ सिर्फ नामांकन आदेश एवं मैट्रीक के मूल प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छाया प्रति हीं आवश्यक रूप से संलग्न कर भेजा जाय, जिससे कि समय पर निबंधन किया जा सके। निबंधन आवेदन पत्र को अग्रसारित करने के पूर्व निम्नांकित तथ्यों की जॉच अवश्य कर लिया जाय :–

(1) निबंधन आवेदन पत्र पर अंकित छात्र/छात्रा का नाम, पिता का नाम एवं जन्म तिथि नामांकन आदेश एवं मैट्रीक के मूल प्रमाण पत्र के अनुरूप है। निबंधन आवेदन पत्र पर अंकित शाखा का नाम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित शाखा के अनुरूप है।

(2) निबंधन आवेदन पत्र पर सटे छाया चित्र का मिलान संबंधित छात्र/छात्रा एवं नामांकन अभिलेख पर सटे छाया चित्र एवं आवेदक/आवेदिका के हस्ताक्षर के जॉच के बाद हीं छाया चित्र अभिप्रमाणित किया जाय।

(3) आवेदित छात्रों से प्राप्त निर्धारित शुल्क की राशि आवेदन पत्र के साथ बैंक ड्राफ्ट में सन्निहित है।

(4) नामांकन आदेश एवं मैट्रीक के मूल प्रमाण पत्र का अभिप्रमाणित छाया प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न है।

अनुलग्नक :–1. निबंधन आवेदन पत्र का विहित प्रपत्र।

विश्वासभाजन,

सचिव,
राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद,
बिहार, पटना।

नोटः– सभी छात्र/छात्राओं से शुल्क की राशि वसूल कर
एक हीं बैंक ड्राफ्ट द्वारा पर्षद कार्यालय को भेजा जाय।